25.10.2021

प्रार्थी बजरंगदास पुत्र सुखरामदास जाति साद निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प लाम्बा में धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1175 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी भूमि आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि पूर्व में सुखरामदास पुत्र नारायणदास की थी। खातेदार सुखरामदास का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, उसमें प्रार्थी का नाम बजरंगदास के बजाय कालूराम लिख दिया गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बजरंगदास है तथा सरकारी दस्तावेज भी बजरंगदास के नाम से जारी किये हुये है। अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में कालूराम पुत्र सुखरामदास 1/6 के स्थान पर बजरंगदास पुत्र सुखरामदास 1/6 हिस्सा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी बजरंगदास ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वये के बयान तथा प्रतिवादी भंवरदास, सोहनदास के बयान करवायें। तथा तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाम्बा द्वारा जारी की गयी टी.सी. प्रमाण पत्र पेश किये है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य में वचादी का नाम बजरंगदास अंकित करने का निवेदन किया ओर भूमि को पैतृक बताया है। कार्यालय ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार बजरंगदास तथा कालूराम एक ही व्यक्ति होना बताया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पक्षकारों ने आपसी समझाईश से राजस्व रेकर्ड में कालूराम के स्थान परा बजरंगदास दर्ज करने की स्वीकारोक्ति प्रदान की गयी है। उक्त वाद वादी का स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है। अतः ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 1175 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी भूमि में कालूराम पुत्र सुखरामदास के स्थान पर बजरंगदास पुत्र सुखरामदास की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय प्रशासन गांवों के संग शिविर अभियान कैम्प ग्राम लाम्बा में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प लाम्बा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
बजरंगदास पुत्र सुखरामदास जाति साद निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा		01 भंवरदास पुत्र सुखरामदास 02 सोहनदास पुत्र सुखरामदास जाति साद निवासीगण लाम्बा 03 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 110/2021

निर्णय दिनांक :– 25.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 1175 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी भूमि में कालूराम पुत्र सुखरामदास के स्थान पर बजरंगदास पुत्र सुखरामदास की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा